न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 20/2021

पीठासीन अधिकारी— श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रार्थी — 1. सुमरा पुत्र सिधाराम जाति भील
निवासी आंकल तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।

बनाम

विप्रार्थीगण — 1. मंगलाराम पुत्र पूरा 2. गिरधारी 3. रामचंद पि. उमेदा
4. अंतरा पत्नी उमेदा 5. मंजू पुत्री उमेदा
6. पन्नी पुत्री उमेदा 7. किशनी पुत्री उमेदा
8. मेवा 9. दुर्गा पि. मोबता 10. आईदान
11. पुरखा पि. दीपा 12. सोनी पत्नी दीपा
13. अकड़ाराम 14.सादला 15. खेता पि. हरचंद जाति भील
निवासी आंकल तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।
16. श्रीमान तहसीलदार सेड़वा जिला बाड़मेर।

अधिवक्तागण — प्रार्थी वकील — श्री दोष मोहम्मद
विप्रार्थी वकील — श्री श्रीराम विश्नोई

निर्णय

दिनांक :— 25.08.2022

राजस्व आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 15 के संयुक्त खातेदारी का खेत मौजा आंकल पटवार हल्का कारटिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोनड़ी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 23 रकबा 0.05 बीघा, खसरा संख्या 24 रकबा 25.19 बीघा, खसरा संख्या 28 रकबा 77.09 बीघा, खसरा संख्या 72 रकबा 05.11 बीघा भूमि आई हुई है प्रार्थी के पिता के फौत होने पर हल्का पटवारी कारटिया द्वारा नामान्तकरण पारित करवाया गया जिसमें प्रार्थी के पक्ष में नामान्तकरण पारित किया गया था जिसमें भूलवश प्रार्थी का नाम सुमराराम पुत्र सिधाराम के स्थान पर अमरा पुत्र सदा अंकित कर दिया गया है। प्रार्थी का नाम सुमराराम पुत्र सिधाराम है। लेकिन राजस्व अधिकारियों द्वारा राजस्व रेकर्ड में नाम अमरा पुत्र सदा अंकित कर दिया है लेकिन प्रार्थी का वास्तविक नाम सुमराराम पुत्र सिधाराम [illegible] आधार कार्ड, [illegible]कार्ड,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.29 10:38:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

बैंक खाता व अन्य समस्त राजकीय दस्तावेज में प्रार्थी का नाम सुमराराम पुत्र सिधाराम है। प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में गलत अंकित होने से प्रार्थी को अपने खेतों को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए कृषि ऋण की आवश्यकता होने पर बैंकों आदि में आवेदन करने पर कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है इससे प्रार्थी को अपने खातेदारी हकूकों पर भी भारी कुठाराघात होने की संभावना है। इसलिये प्रार्थी को अपने नाम को दूरस्त करवाने का अधिकारी है। इस हेतु श्रीमान जी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया विप्रार्थी संख्या 1 व 15 की ओर से अधिवक्ता श्री श्रीराम विश्नोई उप0। विप्रार्थी 1 से 15 की ओर से जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सही होने से स्वीकार है। सिधाराम के फौतगी पर जो नामान्तकरण भरा गया था उस नामान्तकरण में भूलवश सुमरा के स्थान पर अमरा पुत्र सदा लिख दिया जो नामान्तकरण गलत स्वीकृत किया गया था। अमराराम का सही नाम सुमराराम पुत्र सिधाराम है जो उसके समस्त रेकर्ड में दर्ज है। उक्त आवेदन को स्वीकार किया जाता है हम विप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। तहसीलदार सेड़वा से तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई जो तहसीलदार सेड़वा के पत्र कमांक/भू.अ./2022/1804 दिनांक 12.07.2022 को प्राप्त हुई। जिसे शामिल पत्रावली किया गया। मौका रिपोर्ट अनुसार मौजा आंकल के खसरा संख्या 23,24,28,72 रकबा क्रमशः 0.05, 25.19, 77.09, 05.11 बीघा कुल रकबा 109.04 बीघा भूमि में प्रार्थी सुमरा के पिता सिधा के नाम वक्त बन्दोबस्त दर्ज हुई। सिधा की मृत्यु होने पर उनके पुत्रों मोबता, दीपा, हरचंद पि. सुमरा के नाम से दर्ज हुई। लेकिन सुमरा कान नाम नामान्तरण में अमरा अंकित हो गया इनके सहखातेदारों व पड़ोसियान के अनुसार सिधा के अमरा नाम का कोई पुत्र नहीं था यह नाम त्रुटिवश सुमरा के स्थान पर अमरा लिख दिया गया। प्रार्थी सुमरा पुत्र सिधाराम के राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, जोब कार्ड, बैंक खाता डायरी एवं इनके पुत्र सुरताराम के दस्तावेज में सुमराराम नाम दर्ज है अतः ग्राम आंकल के खसरा संख्या 23,24,28,72 में अमरा के स्थान पर सुमराराम वल्द सिधाराम शुद्ध किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.29 10:38:29 IST
Reason: SelfAttested

उभयपक्षकारान वकील उपस्थित। उभयपक्षकारान वकील की बहस सुनी गयी बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर संलग्न

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करने योग्य है।

अतः **प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा आंकल पटवार हल्का कारटिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सोनड़ी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 23 रकबा 0.05 बीघा, खसरा संख्या 24 रकबा 25.19 बीघा, खसरा संख्या 28 रकबा 77.09 बीघा, खसरा संख्या 72 रकबा 05.11 बीघा भूमि में नाम दुरस्त प्रार्थी का नाम अमरा पुत्र सदा के स्थान पर सुमराराम पुत्र सिधाराम किये जाने आदेश दिये जाते है तथा तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा।**

तहसीलदार सेड़वा उक्त आदेशानुसार कार्यवाही कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2022 को न्यायालय के खुले परिसर में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी सेड़वा

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.08.29 10:38:29 IST
Reason: SelfAttested